कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7)2023–24/विकास/प्रमुवस/7300 दिनांक: 16/08/2023

कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2023–24 की बजट घोषणा संख्या 48(II) "राज्य में पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 50 पक्षी घर बनाये जायेंगे" के क्रियान्वयन हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 6628 दिनांक 03.08.2023 द्वारा आवंटित बजट में मुख्य वन संरक्षक, वन वर्धन, जयपुर के पत्र क्रमांक 2362 दिनांक 15.08.2023 से प्राप्त प्रस्तावनुसार पक्षी घर हेतु आवंटित राशि प्रत्याहरित कर उप वन संरक्षक,वन्यजीव,जयपुर को निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है।

बजट मद	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	पूर्व मेंआवंटित बजट (राशि रू. लाखो में)	संशोधित बजट आवंटन (राशि रू. लाखो में)	स्थापित किये जाने वाले पक्षी घर का स्थान
4406–02–111–02–00–16 लघु निर्माण कार्य	वन वर्धन, जयपुर	उप वन संरक्षक, वन वर्धन, जयपुर	87.00	0.00	
4406–02–111–02–00–16 लघु निर्माण कार्य	वन्यजीव, जयपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर	0.00	87.00	वन क्षेत्र गोविन्दपुरा, जयपुर

उक्त आंवटित बजट का उपयोग करते समय निम्न दिशा –निदेशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

1. उक्त आंवटन में यदि बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें।
2. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
3. बजट का उपयोग सामान्य वितीय एवं लेखा नियमो, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर उपापयन (**Procurement**) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमो के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमो/आदेशो की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियिमतताओ के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. वन विकास कार्यो को यथाशीध्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।

(पी.के. उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान,जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7)2023–24/विकास/प्रमुवस/7301-08 दिनांक: 16/8/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है:–

1. मुख्य वन संरक्षक,वन वर्धन,जयपुर/वन्यजीव,जयपुर।
2. वित्तिय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर ।
3. उप वन संरक्षक, वन्यजीव,जयपुर/ वन वर्धन, जयपुर।
4. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा/रक्षी पत्रावली।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान,जयपुर